

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

सं०...../रा०,पटना/दिनांक 9/4/13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा-बरौनी- थाना नं०-335 थाना-तेघड़ा, परगना-मलकी जिला-बेगूसराय में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात्-तेघड़ा अंचल अन्तर्गत बखतर स्थान के गंगा कटाव से 68 पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिये पूर्वोक्त ग्राम नं०- बरौनी- , थाना नं०-335 के भीतर कनोवेश बी०-X क०-X धुर-X है जो-3.40 एकड़ के बराबर होता है। भूखण्ड जिसमें -X एकड़ बंजर तथा-3.40 एकड़ कर्षणीय है, अपेक्षित है। जिसका पूर्ण सर्वे खेसरा सं०- 4129 तथा आंशिक सर्वे खेसरा सं०-4164 एवं /8458 है और इसकी चोहददी निम्न प्रकार है:-

उत्तर	सर्वे खेसरा सं०-4091, 4079, 4073 एवं आंशिक सर्वे खेसरा सं०-4164
दक्षिण	सर्वे खेसरा सं०-4128, 4126, 4130, 4131, /8508 एवं 4162
पूरब	आंशिक सर्वे खेसरा सं० 4164 एवं /8458
पश्चिम	सर्वे खेसरा सं० 4130, 4092 एवं 4091

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1984 की धारा-4 के उपबन्धों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 1,1961 एवं भू-अर्जन संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है, जिनका इस से संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी,बेगूसराय के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार भूमि-अर्जन पदाधिकारी के और इनके स्टाँफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे -अपर समाहर्ता, बेगूसराय के पदाधिकारियों और स्टाँफ को प्राधिकृत करती है,कि भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-2 से तथा संबंधित या यथा निर्दिष्ट अपने कार्य से समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर , कृषि योग्य है और जिसका अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्ता  
बेगूसराय

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या - 14/डी0 एल0 ए0 बेगू0 (पुर्नवास) - 38/2012/1052

9/4/13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, बेगूसराय को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बेगूसराय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, बेगूसराय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

9/4/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

\*